



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(दखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- खारडा
पटवार हल्का :- खारडा
भू. अभि. नि. :- बाबर
तहसील :- रोहट
जिला :- पाली

सम्वत् :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिग्या
खाता संख्या नया :- 123
खाता संख्या पुराना :- 122

काश्तकार का नाम:-

गंगाधर S/O बुधाराम कौम मेगवाल सा. तनावडा तहसील लुणी जिला जोधपुर खातिदार।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
910/244	3.0100	बारानी सोयम	3.0100 0.7625			
कुल खसरे - 1	3-01		3-01 0.76			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 13-Jan-2022



सत्यप्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 209 दिनांक 17/01/2022

(Signature)
जमाबन्दी अधिकारी
पटवार (ख. अ.) खारडा
तहसील रोहट (पाली)



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- खारडा
पटवार हल्का :- खारडा
भू. अभि. नि. :- हावर
तहसील :- रोहट
जिला :- पाली

सम्बत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 418
खाता संख्या पुराना :- 399

काश्तकार का नाम:-

मंगलाराम s/o बुदोराम कौम मेगवाल सा. तनावडा तहसील लुणी जिला जोधपुर खातेदार।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
911/244	10.0000	बारानी अञ्चल	10.0000 5.0000		
कुल खसरे - 1	10-00		10-00 5.00		

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 13-Jan-2022

NIC

सत्यप्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 209 दिनांक 17/01/2022

राज. सरकार
पटवारी (मु. ल.) खारडा
तहसील रोहट (पाली)

कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली

क्रमांक LU2012/PAL/2021-22/100097

दिनांक 06/05/2022

विषय: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री GANGARAM पुत्र श्री BUDDHARAM जाति MEGHWAL निवासी TANAWARA, TEH-LUNI DISTRICT-JODHPUR

- ऊपर नामित आवेदक के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

क्रं. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर/क्षेत्रफल
1.	खारड़ा, तहसील-रोहट (पाली)	GANGARAM S/O BUDDHARAM, TANAWARA, TEH-LUNI, DISTRICT-JODHPUR	खसरा नम्बर 910/244 की रकबा 4937.16 वर्गमीटर।

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी के प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुरूप आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जाएगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् गैर-कृषि के लिए उपयोग में लिया जाएगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जाएगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06/05/2022 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, पाली

कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली

क्रमांक LU2012/PAL/2021-22/100098

दिनांक 06/05/2022

विषय: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **MANGLARAM** पुत्र श्री **BUDDHARAM** जाति **MEGHWAL** निवासी **TANAWARA, TEH-LUNI**
DISTRICT- JODHPUR

- ऊपर नामित आवेदक के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

क्रं. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर/क्षेत्रफल
1.	खारड़ा, तहसील-रोहट (पाली)	MANGLARAM S/O BUDDHARAM, TANAWARA, TEH-LUNI, DISTRICT- JODHPUR	खसरा नम्बर 911/244 की रकबा 16187.44 वर्गमीटर।

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी के प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुरूप आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जाएगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् गैर-कृषि के लिए उपयोग में लिया जाएगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जाएगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **06/05/2022** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, पाली



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- खारडा अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी
पटवार हल्का :- खारडा भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- ढाबर क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- रोहट खाता संख्या नया :- 827
जिला :- पाली खाता संख्या पुराना :- 835

368/3	0.8417	बारानी अव्वल	0.8417	2.60
376/1	0.7203	बारानी अव्वल	0.7203	2.23
376/2	2.2662	बारानी दोयम	2.2662	5.19
380/2	2.8247	बारानी दोयम	2.8247	6.47
387/1	0.3804	बारानी अव्वल	0.3804	1.18
387/2	2.0801	बारानी दोयम	2.0801	4.76
43	0.8094	नहरी दोयम	0.8094	5.00
51	0.4694	नहरी दोयम	0.4694	2.90
52/1	1.4164	नहरी दोयम	1.4164	8.75
54	0.9470	नहरी दोयम	0.9470	5.85
558/1	64.7496	बारानी दोयम	64.7496	148.28
56	0.2509	नहरी दोयम	0.2509	1.55
633/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
634/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
635/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
636/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
642/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
646/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
650/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
657/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
658/221	1.6187	बारानी दोयम	1.6187	3.71
67/2	0.4613	नहरी दोयम	0.4613	2.85
78	0.7932	नहरी दोयम	0.7932	4.90
8	12.6100	नहरी दोयम	12.6100	77.93
82/2	1.7725	नहरी दोयम	1.7725	10.95
82/3	0.3076	नहरी दोयम	0.3076	1.90
86/3	2.2500	नहरी दोयम	2.2500	13.91
89	0.9712	नहरी दोयम	0.9712	6.00
910/244	0.4937	आवासीय प्रयोजन	0.4937	0.00
911/244	1.6187	आवासीय प्रयोजन	1.6187	0.00
93/2	0.2590	नहरी दोयम	0.2590	1.60
98	1.9425	नहरी दोयम	1.9425	12.00

कुल खसरे - 97 1083.8775 1083.8775 2735.0300

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 10-Oct-2025



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : ROHAT

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 03-07-2025 1:21 PM

Fee Receipt No	: 202502339002163	Receipt Date	: 03/07/2025
Name	: GOURAV JANGIR ,	Document S. No.	: 202501339002130
Address	: 325 ,RISHABH DEV NAGAR PAL ROAD JODHPUR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Power of Attorney		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 16655559
Ord-Registration Fee	: ₹ 10000	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 24984	Stamp Duty	: ₹ 83278
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 118562
		Total Amount	: ₹ 118562

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 107348359 ₹ 118562

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 249834

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



(फोटो अधिकारदातागण)



(फोटो अधिकारग्रहीता)

—: मुख्तयारनामा :-

आम मुख्तयारनामा एक लिख दिया हम

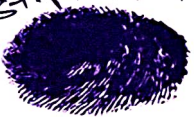
1. श्री मंगला राम पुत्र श्री बुधा राम, उम्र - 55 वर्ष, जाति - मेघवाल, निवासी - मेघवालों का बास, तनावडा कला जोधपुर।
2. श्री गंगा राम पुत्र श्री बुधा राम, उम्र - 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी- मेघवालो के बास, तनावडा कला. जोधपुर।

(जिन्हें आगे इस आम मुख्तयारनामा में संयुक्त रूप से अधिकारदाता "प्रथम पक्षकारान्" के नाम से सम्बोधित किये जावेगे) में रहने वालों ने,

ब ह क

श्री गौरव जांगीड़ पुत्र श्री मदनलालजी जांगीड़, उम्र - 21 वर्ष, जाति सुथार, निवासी - 325, ऋषभ देव नगर, भादू मार्केट, पाल रोड़, जोधपुर।

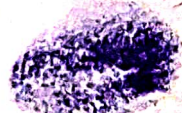
डा. कि. गंगाधर



डा. कि. गंगाधर

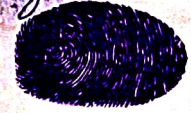


श्री गौरव जांगीड़



601
श्री गौरव जांगीड़, सेस्ट (पाला)

श्री गौरव जांगीड़





क.वि. गजपति

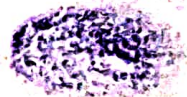


क.वि. भगमाचल



मिना) अथ, कलकत्ता

Gaurav



(जिन्हें आगे इस आम मुख्तयारनामा में अधिकारगृहीता "द्वितीय पक्षकार" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) में रहने वाले के हक में आज दिन निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते हैं कि :-

यह है कि प्रथम पक्षकारान् स्वामित्व एवं आधिपत्य की रहवासीय सामलाती भूमि खसरा संख्या 910/244 एवं 911/244 कुल रकबा 13 बीघा 01 बीस्वा वाके ग्राम - खारडा तहसील रोहित जिला पाली में आई हुई है।

सक्षिप्त विवरण :-

यह है कि पूर्व में उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 910/244, 911/244 कुल रकबा 13 बीघा 01 बीस्वा वाके ग्राम - खारडा तहसील रोहित जिला पाली को हम प्रथम पक्षकारान् ने श्री हुकमाराम पुत्र भाणाराम, जाति मेघवाल, निवासी मालवासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर एवं दीपाराम पुत्र श्री अम्बालालजी, जाति मेघवाल, निवासी पिपाड़ सीटी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर, मांगीलाल पुत्र श्री मोडाराम, जाति मेघवाल, निवासी अशोक कॉलोनी, जोधपुर से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद की थी जो बेचाननामा का पंजीयन दिनांक 29/09/2007 को उप पंजीयक कार्यालय रोहित, पाली के यहाँ 1 जिल्द संख्या 70, पृष्ठ संख्या 109, क्रम संख्या 2007001488 पर पंजीबद्धसुदा है।। उपरोक्त खसरा संख्या 910/244 एवं 911/244 कुल रकबा 13 बीघा 01 बीस्वा भूमि के भूमि रूपान्तरण (90क) एवं ले-आउट प्लान हेतु नगर विकास न्यास, पाली में आवेदन किया गया था, तत्पश्चात् नगर विकास न्यास, पाली द्वारा नियमानुसार 90-क की कार्यवाही करते हुए दो अलग-अलग आदेश क्रमांक LU2012/PAL/2021-22/100097 (4937.16 Sqr Mtr.) & LU2012/PAL/2021-22/100098 (16187.44 Sqr Mtr.) दिनांक 06.05.2022 के उपरोक्त कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया तथा उपरोक्त खसरा संख्या 910/244 एवं 911/244 का नामान्तरण नगर विकास न्यास, पाली के नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात्

प्रथम पक्षकारान् द्वारा उपरोक्त भूमि में से 17941.88 वर्गमीटर भूमि को

अ. नि. मांगीलाल

अ. नि. मांगीलाल

60/1
उप पंजीयक, रोहित (पाली)

Gaurav

छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी का रूप दे दिया गया जिसका नाम "अभिनव वैली" रखा गया। जिसका ले-आऊट प्लान का अनुमोदन नगर विकास न्यास, पाली जरिये पत्र क्रमांक प. 3(77)नवि/3/2010 पार्ट VIII दिनांक 30/11/2021 को किया गया। इस प्रकार हम प्रथम पक्षकारान् का ही उपरोक्त भूमि पर बहैसियत मालिकाना कब्जा, अधिकार चला आ रहा है, जिसमें किसी दूसरे शख्स, संस्था का कोई हक, हिस्सा, कब्जा, दखल, अधिकार नहीं है तथा इसकी व्यवस्था करने एवम् बेचान करने का हम प्रथम पक्षकारान् को एक मात्र अधिकार प्राप्त है।

यह है कि उपरोक्त आवासीय भूमि का नाप एवम् स्थान निम्न है :-

उत्तर में : अन्य भूमि व 60 फीट रोड़

दक्षिण में : इसी खसरे की अन्य भूमि

पूर्व में : खसरा संख्या 244/4 की भूमि

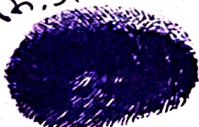
पश्चिम में : जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राज मार्ग

नाप - 17941.88 वर्गमीटर

स्थान :- खसरा संख्या 910/244 एवं 911/244 वाके ग्राम - खारडा तहसील रोहित जिला पाली

यह है कि प्रथम पक्षकारान् अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं तथा समय-समय पर आवासीय योजना से संबंधित राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी ओथॉरिटी व नगर विकास न्यास, पाली व पंजीयन कार्यालय में होने वाले कार्यों को एक साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करने में असमर्थ है, इसलिए हम प्रथम पक्षकारान् उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी ओथॉरिटी व नगर विकास न्यास, पाली व पंजीयन कार्यालय एवं अन्य विभागों के कार्यों के निष्पादन के लिए आप द्वितीय

अ.वि. जंगलपत्र



अ.वि. जंगलपत्र



60/1
उप पंजीयक, रोहित (पाली)

Signature



पक्षकार को हमारा कानूनी आम मुख्त्यार नियुक्त करते हुए निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं कि :-

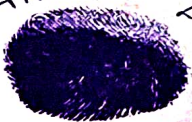
01. यह है कि आप आम मुख्त्यार नगर विकास न्यास, पाली में उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर कर ले-आउट अनुमोदन के बाद होने वाली समस्त कार्यवाही कर सकेंगे। जैसे पट्टा विलेख प्राप्त करने के लिए आवेदन तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजात् (नॉमिनी/समनुदेशिति (Assignee) के हक में पट्टा जारी करने हेतु शपथ-पत्र, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र इत्यादि) पर अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत कर सकेंगे तथा समय समय पर चाही गयी फीस व प्रिमियम जमा करवा सकेंगे। पट्टा जारी होने के पश्चात् उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पट्टा पंजीयन करवा सकेंगे।



02. यह है कि हमारे आम मुख्त्यार उपरोक्त योजना का डवलप कर सकेंगे। बिजली व पानी इत्यादि की सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे। उपरोक्त आवासीय कॉलोनी को डवलप करने हेतु अन्य सभी कार्य कर सकेंगे। संबंधित विभागों में हमारी ओर से उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत कर सकेंगे।

03. यह है कि हमारे आम मुख्त्यार उपरोक्त आवासीय योजना में स्थित भूखण्डों को बेचान कर सकेंगे, बेचान इकरार कर सकेंगे, साई प्राप्त कर सकेंगे, रसीद दे सकेंगे, प्रतिफल की पूर्ण राशि प्राप्त कर सकेंगे, बेचाननामा पर अपने हस्ताक्षर कर सकेंगे, बेचाननामा पंजीयन अधिकारी के यहाँ पंजीबद्ध करवा सकेंगे तथा पंजीबद्ध बेचाननामा खरीददार व्यक्ति को सुपुर्द कर सकेंगे।

अ.क. गंगोपाध्याय



अ.क. मंगलकाम



उप पंजीयक, रोहट (पाली)

Gauran



Presentation Endorsement

Print Date: 7/3/2025 1:52:38 PM

आज दिनांक 03 माह 07 सन् 2025 को 01:19 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री MANGALARAM पुत्र/पुत्री/पति श्री BUDHA RAM
उम्र 56 वर्ष, जाति 0-MEGWAL, व्यवसाय Business
निवासी House No.:0, Colony: TANAVADA KALLA, Area: JODHPUR,
City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State:
RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202501339002130

60/1
हस्ताक्षरक रोहत (पाली)
ROHAT

(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to-
(e)(ii) any other person

Fees Receipt Endorsement

Print Date: 7/3/2025 1:52:38 PM

रसीद नं.	202502339002163
दिनांक	03-07-2025
पंजीयन शुल्क ₹	10000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	83278
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	24984
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	118562

202501339002130

60/1
उप पंजीयक, रोहत (पाली)
उप पंजीयक, ROHAT

(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to- (e)
(ii) any other person

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 107348359 ₹ 118562



04. यह है कि आप आम मुख्तयार राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन (**REGISTRATION**) हेतु तमाम प्रकार की कार्यवाही कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत कर सकेंगे। डिमाण्ड अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य शास्ती जमा करवा सकेंगे।

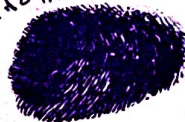
05. यह है कि आप मुख्तयार राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के नियमों अनुसार एस्को अकाउण्ट अपने हस्ताक्षर कर खुलवा सकेंगे तथा रेरा नियमों के अन्तर्गत अकाउण्ट मेन्टेन कर सकेंगे।

06. यह है कि यदि उपरोक्त आवासीय योजना से सम्बन्धित किसी व्यक्ति, संस्था से कोई वाद-विवाद, झगड़ा इत्यादि उत्पन्न हो जावे तो हमारे आम मुख्तयार सम्बन्धित पक्षकार से आपस में मिल-बैठकर समझौता कर सकेंगे तथा किसी भी न्यायालय, कार्यालय में वाद प्रस्तुत कर सकेंगे, दावा, जबावदावा, रिट, रिव्यु इत्यादि अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत कर सकेंगे, शपथ-पत्र, घोषणा-पत्र, बोण्ड, डिक्लेरेसन इत्यादि प्रस्तुत कर सकेंगे, स्वयं उपस्थित हो सकेंगे, घोषणा कर सकेंगे, बयान दे सकेंगे, वकालतनामा पर अपने हस्ताक्षर कर सकेंगे, वकील की नियुक्ति कर सकेंगे, तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे तथा उपरोक्त कार्यों के अलावा भी यदि उपरोक्त कृषि भूमि बाबत कोई कार्य करना आवश्यक हो तथा जिसका खुलासा इस आम मुख्तयारनामा में रह गया हो तो वह कार्य भी हमारे आम मुख्तयार कर सकेंगे।

07. यदि है कि हमारे आम मुख्तयार वे सभी कार्य कर सकेंगे जो इस योजना को डवलप करने हेतु तथा इसे संचालित करने हेतु



अ. वि. जंगलाम



अ. वि. भट्टाराम



सप पंजीयक, रोहट (पाला)

Ganar



**Endorsement of Execution**

Print Date: 7/3/2025 1:52:38 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री MANGALARAM, पुत्र/पुत्री/पति श्री BUDHA RAM, व्यवसाय Businessजाति 0-MEGWAL House No.:0, Colony: TANAVADA KALLA, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 56 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री GANGARAM, पुत्र/पुत्री/पति श्री BUDHA RAM, व्यवसाय Businessजाति 0-MEGWAL House No.:0, Colony: TANAVADA KALLA, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 66 Signature :
3	श्री/श्रीमती/सुश्री GOURAV JANGIR, पुत्र/पुत्री/पति श्री MADAN LAL JANGIR, व्यवसाय Businessजाति 0-SUTHAR House No.:325, Colony: RISHABH DEV NAGAR PAL ROAD JODHPUR, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 22 Signature :

ने लेख्यपत्र (e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to-
(e)(ii) any other person को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 0/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR, पुत्र/पुत्री/पति श्री PANNA LAL जाति SUTHAR Age: 42 Add: House No.:220, Colony: KAKELAW, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL SOLANKI, पुत्र/पुत्री/पति श्री SHYAM LAL JI जाति SAIN Age: 55 Add: House No.:0, Colony: JODHPUR, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

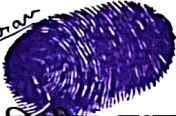
202501339002130

621/ **उपपंजीयक महं (पाली)**

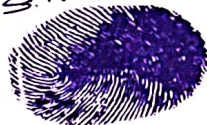
(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to-
(e)(ii) any other person

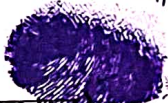
आवश्यक हो। इस योजना से संबंधित आप द्वारा किये गये समस्त कार्य इस दस्तावेज की रूह से हमारे द्वारा किये गये समझे जायेंगे।

लिहाजा यह आम मुख्तयारनामा प्रथम पक्षकार ने अपनी राजी-खुशी, अक्ल-होशियारी, बिना किसी नशे, बिना किसी जोर दबाव के तन्दुरुस्ती की हालत में आज दिन सोच-समझ कर तहरीर तकमील कर दिया है जो सही है सनद रहे। वक्त जरूरत काम आवें। इति दिनांक :-

Jawar


(हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकारान्)

ड.नि. मण्णायक


ड.नि. मण्णायक


(हस्ताक्षर प्रथम पक्षकारान्)



साख :- 1

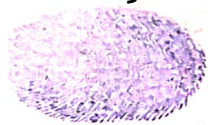
मैं कुशोक पुत्र श्री पद्मलाल, आयु 52
वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं. 2-20 जोर काफलाव जिला पाली में
रहने वाला यह साख मैंने प्रथम पक्षकार के कहने से डाल दी है।

[Signature]

साख :- 2

मैं मल्लिक पुत्र श्री दो गल्ल, आयु 50
वर्ष, जाति भट्ट, निवासी तारागा जिला पाली में
रहने वाला यह साख मैंने प्रथम पक्षकार के कहने से डाल दी है।

mellik



6th
सुप. प्रजीवक, रोहट (पाली)

Under 54 Endorsement

Print Date: 7/3/2025 1:52:38 PM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 16655559 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 83278 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 10000, सरचार्ज राशि 24984 कुल रु 118262 रसीद संख्या 202502339002163 दिनांक 03-07-2025 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 83278 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202501339002130

68/1/2025
उपपंजीयक, रोहट (पाली)

(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to- (e)(ii) any other person

Registration Endorsement

Print Date: 7/9/2025 3:07:01 PM

आज दिनांक 09/07/2025 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 122 में पृष्ठ संख्या 71 क्रम संख्या 202503339400042 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 379 के पृष्ठ संख्या 677 से 688 पर चस्पा किया गया।

202501339002130

68/1/2025
उपपंजीयक, रोहट (पाली)

(e) When power of attorney is given without consideration to transfer or sell immovable property to- (e)(ii) any other person

